

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014—श्रावण 8, शक 1936

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-4/आठ-परि./2014.- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 7 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-


“(3) अधिनियम के अधीन प्रत्येक रकम का भुगतान ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा तथा इस संबंध में, कर (टैक्स), शास्ति, ब्याज, प्रशमन शुल्क एवं शुल्क आदि का ऑनलाइन भुगतान, इस विभाग की वेबसाइट www.cgtransport.org के माध्यम से, किया जा सकेगा:

परन्तु कराधान प्राधिकारी, वाहन के स्वामी को 500 रुपये तक की राशि नगद में जमा करने के लिये अपने कार्यालय में अनुज्ञात कर सकेगा।”

2. नियम 7 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(5) कर (टैक्स) भुगतान करने की तारीख वही होगी जो कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में नगद में राशि जमा करने की तारीख हो :

परन्तु नियम 14 के उप-नियम (9) के अनुसार वापसी के दावे के समायोजन द्वारा कर (टैक्स) भुगतान करने की तारीख, उक्त नियम के उप-नियम (2) के अधीन कर की वापसी के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख समझी जायेगी।”



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th July 2014

NOTIFICATION

F 5-4/viii-Trans/2014.- In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No.25 of 1991), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Rules, 1991, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (3) of rule 7, the following shall be substituted, namely:-

“(3) Payment of every amount under the Act shall be made through online payment system and in this regard online payment of tax, penalty, interest, composition fees and fee etc. may be made through this department's website www.cgtransport.org:

Provided that the Taxation Authority may allow owner of the vehicle to deposit cash upto Rs. 500 in its office.”

2. For sub-rule (5) of rule 7, the following shall be substituted, namely:-

“(5) The date of payment of tax shall be the date of depositing the amount in cash in the office of the Taxation Authority:

Provided that the date of payment of tax by adjustment of a refund claim as per sub-rule (9) of rule 14 shall be deemed to be the date of presentation of application for refund of tax under sub-rule (2) of the said rule.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

A. K. TOPPO, Joint Secretary.